

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 1649 / 144

मथुरा, दिनांक

26/11/2020.

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
मथुरा ।

विषय :-

जनपद मथुरा में वृन्दावन-छटीकरा-राधाकुण्ड मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के निर्माण में प्रस्तावित 3.1746 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/47893/2020)

सन्दर्भ :-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, पंचम, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू०पी०/06/128/2020/एफ०सी०/1033, दिनांक 24.11.2020

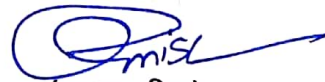
महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या छ-छ: प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित करने करने का कष्ट करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों प्रेषित की जा सके ।

- 1- बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में Legal status of the forest land shall remain unchanged. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
- 2- बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.3492 ha. Degraded forest land (Sunakh Forest Block, Mathura Range, District-Mathura) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to avoided के क्रम में मु०-28,42,600/- (रु० अठ्ठाईस लाख बियालीस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि जमा कराई जाय ।
- 3- बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में The Cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per Compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. के क्रम में यह वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय कि क्षतिपूर्क वनीकरण व अन्य निर्देशों के क्रम में जो धनराशि की मांग की जायेगी वह मांग के अनुरूप जमा कराई जायेगी ।
- 4- बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.1746 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/01/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt-II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/1998-FC, dated 05/02/2009 in this regard. के क्रम में एन०पी०वी० की धनराशि मु०-19,87,300/- (रु० उन्नीस लाख सत्तासी हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि जमा कराकर उसकी ई-रसीद की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाय ।
- 5- बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of Indian on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. के क्रम में यह वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय, की भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में संशोधन होने पर संशोधित दरों के अन्तर्गत धनराशि जमा कराई जायेगी ।
- 6- बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में User Agency shall obtain Environmental Clearance as pr the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 7- बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में All the funds received from the User agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. के क्रम में यह धनराशि नियमानुसार जमा की गई है की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।

- 8- बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में The layout plan of the proposal shall be changed without prior approval of Central Government. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 9- बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में No labour camp shall be established on the Forest Land, के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 10- बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 11- बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में The boundary of the diverted forest land shall be suitable demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 12- बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 13- बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 14- बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 15- बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 16- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 17- बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 18- बिन्दु संख्या-18 के अनुपालन में The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. के क्रम में में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 19- बिन्दु संख्या-20 के अनुपालन में Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 22- बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>) के क्रम में समस्त सूचनाएँ अपलोड कर दी गई है, की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
- 21- बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

भवदीय,



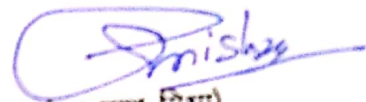
(रघु नाथ मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक / दिनांकित ।

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन सहायक / मोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- प्रतिलिपि वन सहायक, आगरा वृत्त, आगरा को संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।



(रघु नाथ मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।



अपने सन्तानों में वृद्धावन-अधीकरण-रक्षणकुल सार का नीधीकरण एवं सुदुधीकरण के प्रसारण कार्य में निर्माण हेतु ३-1746 ई० संवत्सर का भूमि की गैर सारणीकी प्रयोग की सुगम क्षेत्र अर्थात् ३-३५४२ ई० में स्वीकृत सन्वत्सर नीतिगत

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | परियोजना का नाम | — जलपथ मधुम में सुधारक—पर्यटन—समयबद्ध मार्ग का लैण्डिंग प्लॉट सुदुर्ग |
| 2. | परियोजना में आवंटित क्षेत्र | — 2.1765 हे० |
| 3. | प्रतिप्लुट कमीकरण योजना हेतु आवंटित अरब | — सुधारक का अरब |
| 4. | आवृत्ति अरब का क्षेत्रफल | — 8.3493 हे० |
| 5. | आवृत्ति अरब में रचित पौधों की संख्या | — 8900 पौध |

अथवा अथवा (प्रतिष्ठित मूल भाषा)

क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	मूल्य / मात्रा	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वसाधारण एवं सामान्य कार्य	रु०	6.3492	48.98	310.98
2	सिंचन क्षेत्र की सफाई	रु०	6.3492	358.35	2275.24
3	मट्टों का पकित करना	प्रति मट्टा	6350	0.31	1968.50
4	मट्टों का खदान, सामान्य भूमि (5.50x5.50x5.50) मी०	प्रति मट्टा	6350	17.50	111125.00
5	आवासीय/सामान्य कार्य का मूल्य का सही	प्रति	475	404.50	191900.00
6	सिंचन क्षेत्र का मूल्य (प्रति एकर प्रति 10 मीटर की लंबाई 5 मीटर की चौड़ाई)	प्रति एकर	0.95	84892.50	80647.88
7	सिंचन कार्य का मूल्य मट्टों व सामान्य सही (10 रु० पर एक मट्टा)	प्रति	0	36100.00	36100.00
8	सिंचन क्षेत्र का मूल्य सिंचन सही (20 से 60 मीटर)	प्रति	0	44100.00	44100.00
9	सिंचन क्षेत्र की लंबाई	प्रति मीटर	1	130000.00	130000.00
10	सिंचन क्षेत्र का मूल्य का मूल्य	प्रति मीटर	200	63.00	12600.00
11	सिंचन क्षेत्र का मूल्य	एक मट्टा	0	0.00	13972.41
	योग :-				625000.00
पुनर्स्थापना कार्य					
1	मट्टों में सिंचनक्षेत्र का मूल्य, सिंचन व मूल्य, सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति मट्टा	6350	1.40	8890.00
2	मट्टों का मूल्य	प्रति मट्टा	6350	1.04	6604.00
3	सिंचन क्षेत्र का मूल्य (3 प्रतिशत प्रतिशत)	प्रति मीटर	6540	70.00	457800.00
4	सिंचन क्षेत्र का मूल्य (10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत) 3 प्रतिशत प्रतिशत	प्रति मीटर	6540	17.50	114450.00
5	सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति मीटर	6350	5.94	37710.00
6	सिंचन क्षेत्र का मूल्य व सिंचन क्षेत्र का मूल्य व सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति मीटर	6350	4.90	31115.00
7	सिंचन क्षेत्र का मूल्य 2 मीटर	प्रति मीटर	12700	1.12	14224.00
8	सिंचन क्षेत्र का मूल्य 9 मीटर	प्रति मीटर	57150	1.04	59436.00
9	सिंचन क्षेत्र का मूल्य 1 मीटर	एक मट्टा	6.3492	600.00	3809.52
10	सिंचन क्षेत्र का मूल्य व सिंचन क्षेत्र का मूल्य (5.50x5.50x5.50) मी०	प्रति	475	196.00	93100.00
11	सिंचन क्षेत्र का मूल्य व सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति	475	3.20	1562.75
12	सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति मीटर	10000	0.85	8500.00
13	सिंचन क्षेत्र का मूल्य (5 रु०)	प्रति रु०	69.5	201.00	13960.50
14	सिंचन क्षेत्र का मूल्य	प्रति	6.3492	706.65	4486.66
15	सिंचन क्षेत्र का मूल्य व सिंचन क्षेत्र का मूल्य	एक मट्टा	6.3492	755.40	4796.19
16	सिंचन क्षेत्र का मूल्य				14537.38
	योग :-				875000.00

4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सुरक्षा श्रमिक	प्रति हे०	23	201.00	4623.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	0	0.00	6466.40
योग :-					61000.00

नवम अनुरक्षण

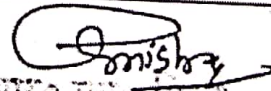
1	पौधों की सिंचाई 6 बार	प्रति पौध	38100	1.04	39624.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	प्रति पौध	6350	1.12	7112.00
3	इंजन की मरम्मत आदि	एक मुश्त	6.3492	500.00	3174.60
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सुरक्षा श्रमिक	प्रति हे०	23	201.00	4623.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	0	0.00	6466.40
योग :-					61000.00

दशम अनुरक्षण

1	पौधों की सिंचाई 6 बार	प्रति पौध	38100	1.04	39624.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	प्रति पौध	6350	1.12	7112.00
3	इंजन की मरम्मत आदि	एक मुश्त	6.3492	500.00	3174.60
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सुरक्षा श्रमिक	प्रति हे०	23	201.00	4623.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	0	0.00	6466.40
योग :-					61000.00
कुलयोग :-					2187000.00

सारांश

क्र०सं०	विवरण	प्रति हेक्टेयर पर व्यय	प्रविश्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर घनराशी
1	अग्रिम मृदा कार्य	625000.00	625000.00
2	वृक्षारोपण कार्य	875000.00	1050000.00
3	अनुरक्षण कार्य प्रथम	138000.00	179400.00
4	अनुरक्षण कार्य द्वितीय	61000.00	85400.00
5	अनुरक्षण कार्य तृतीय	61000.00	91500.00
6	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ	61000.00	97600.00
7	अनुरक्षण कार्य पंचम	61000.00	103700.00
8	अनुरक्षण कार्य षष्ठम	61000.00	109800.00
9	अनुरक्षण कार्य सप्तम	61000.00	115900.00
10	अनुरक्षण कार्य अष्टम	61000.00	122000.00
11	अनुरक्षण कार्य नवम	61000.00	128100.00
12	अनुरक्षण कार्य दसम	61000.00	134200.00
योग :-		2187000.00	2842600.00


 आर० एन० मिश्रा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वनिकी प्रभाग
 खजुरा

2/10/2020 (28)

Full Title of the Project: -Protected forest Land Proposed to be diverted for Widening and strengthening work of Vrindavan Chhatikara Radhakund Road (ODR) in District Mathura (U.P) (Chainage 6.000 to 20.100 KM & Chainage 21.000 to 21.400 KM) (Legnth 14.500 KM) in District Mathura.

Proposal No. :

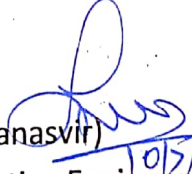
Date of Proposal:

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is certify that i/we have applied for diversion of 3.1746 Hect. protect forest area for "Widening and strengthening work of Vrindavan Chhatikara Radhakund Road (ODR) in District Mathura (U.P) (Chainage 6.000 to 20.100 KM & Chainage 21.000 to 21.400 KM) (Legnth 14.500 KM)" in district Mathura, Uttar Pradesh of i/we, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) Rs 1987300.00 of the above forest land/ I/We also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Effectted Area = 3.1746 Hect. @ 626000.00 = Rs. 1987300.00 Only.


(Arun Gupta)
Assistant Engineer
PD PWD Mathura


(Sanasvir)
Executive Engineer
PD PWD Mathura
SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura


आरुण मिश्रा
प्रभागिय निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग
मथुरा
23/7/20